बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी

पत्रांक:-22
BI-559/1/2025-SEC 2-BRDS

पटना/दिनांक:-07/01/2026

प्रेषक,

अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा०प्र०से०
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार, |

विषय:- **बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विनियम 54(2)(s) के अंतर्गत Non-Specified Dams (गैर निर्दिष्ट बाँध) की सूची उपलब्ध कराने के बैठक के संबंध में |**

प्रसंग:- जल संसाधन विभाग, पटना का पत्रांक-932 दिनांक-16.12.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विनियम 54 (2)(s) के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सभी निर्दिष्ट/गैर निर्दिष्ट बाँधों (Dam, Weir, Barrage, Chek Dam etc.) की सूची संलग्न विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है | (प्रति संलग्न)

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि यदि इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण मनरेगा योजनान्तर्गत क्रियान्वित किया गया है, तो पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएं दिनांक-15.01.2026 तक उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि जल संसाधन विभाग को इसे समेकित कर प्रेषित किया जा सके |

अनुलग्नक:-**यथोक्त |**

विश्वासभाजन

7/1/26

(अभिलाषा कुमारी शर्मा)
आयुक्त मनरेगा-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी |

प्रतिलिपि:- सभी निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |

Salient Feature of Non Specified Dams

Sl. No.	Name of the Dam	District	Village /Block	Concerned S.E	Concerned E.E	Latitude	Longitude	River Basin	River	Year of Conetruction	Dam Type Earthen Masonary/Concrete	Maximum Height of Dam (from natural river (bed) (in m)	Dam Length (in m)	Gross Storage Capacity In x 10^3 m^3 (If App)	Reservoir Area in x 10^3 m^2	Effective Storage Capacity in x 10^3 m^3	Purpose	Designed Spillway Capacity In m^3/s
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

16/12/25
ईमिनिगम नीते

कार्यालय EcNo-4954534/18/12/2025

राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, जल संसाधन विभाग

जल संसाधन भवन, ब्लॉक-बी, तृत्तीय मंजिल, अनिसाबाद, पटना-800002

(Email Id: sdsobihar@gmail.com)

पत्रांकः रा0बाँ0सु0सं0/गै0नि0बाँ0-12/2024-932 पटना, दिनांक :- 16 /12 /2025

प्रेषक,

महमूद आलम
प्रभारी प्रमुख
राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।
-सह- मुख्य अभियंता
केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

रवि शंकर प्रसाद
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विनियम 54(2)(s) के अन्तर्गत Non-Specified Dams (गैर निर्दिष्ट बाँध) की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत अधिसूचित Regulation (54)(2)(s) तथा इस कार्यालय का पत्रांक-726, दिनांक-29.11.2024 एवं पत्रांक-17, दिनांक-04.01.2025 तथा ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-3497392, दिनांक-26.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ग्रामीण विकास विभाग नियंत्राधीन सभी निर्दिष्ट/गैर निर्दिष्ट बाँधों (Dam, Weir, Barrage, Checkdam etc.) का डाटाबेस विहित प्रपत्र में राज्य बाँध सुरक्षा संगठन पटना को उपलब्ध कराने हेतु आपको नामित किया गया था। तदोपरान्त इस कार्यालय का पत्रांक-17, दिनांक-04.01.2025 से ग्रामीण विकास विभाग नियंत्राधीन सभी निर्दिष्ट/गैर निर्दिष्ट बाँधों (Dam, Weir, Barrage, Checkdam etc.) का डाटाबेस विहित प्रपत्र में भरकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया, जो कि अब तक अप्राप्त है। इसी क्रम में सूचित करना है कि दिनांक-04.07.2025 को NDSA, नई दिल्ली द्वारा email के माध्यम से सूचना दी गई कि उनके द्वारा सभी गैर निर्दिष्ट बाँधों का Unique ID के Nomenclature से संबंधित कार्य किया जा रहा है। तदोपरान्त राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (SDSO) द्वारा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत अधिसूचित Regulation (54)(2)(s) के अनुसार बिहार राज्य में अवस्थित सभी Non-Specified Dams का Unique ID के Nomenclature करते हुए Database तैयार किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 14(1) के आलोक में राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना का गठन एक पृथक संस्था के रूप में की गई है। अतः बिहार राज्य अंतर्गत सभी निर्दिष्ट/गैर निर्दिष्ट बाँधों (Dam, Weir, Barrage, Checkdam etc.) की सतत् निगरानी, निरीक्षण परिचालन एवं रख-रखाव की निगरानी आदि संबंधी कार्य राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना द्वारा किया जाना है। साथ ही बाँधों की सुरक्षा संबंधी की जाने वाली उपायों की जानकारी एवं सुझाव संबंधित Dam Owner को देना तथा NDSA, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा-निर्देश का अनुपालन संबंधित Dam Owner से कराने की जिम्मेवारी राज्य बाँध सुरक्षा संगठन की है।

प्रतिलिपि मूल में श्री आनंद जी SPO मनरेगा (BRDS) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। निर्दिष्ट/गैर निर्दिष्ट बाँधों का डाटाबेस

अतः पुनः निदेश है कि ग्रामीण विकास विभाग नियंत्राधीन सभी निर्दिष्ट/गैर निर्दिष्ट बाँधों (Dam, Weir, Barrage, Checkdam etc.) का डाटाबेस Regulation के अनुसार विहित प्रपत्र (सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न) में भरकर इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना चाहेंगे। विहित प्रपत्र भरने में किसी भी प्रकार की कठिनाई हो या अधिनियम/Regulation के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हो तो इस कार्यालय में पदस्थापित उपनिदेशक-3 (मो0 नं0 9801630215) एवं सहायक निदेशक, (मो0 नं0 8863074829) से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

अनु0:-यथावत्।

विश्वासभाजन

प्रभारी प्रमुख

राज्य बाँध सुरक्षा संगठन, पटना।